न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया तहसील फुलियाकलां

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा०दी०}

पीठासीन अधिकारी – श्री राजकेश मीना
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 134 / 2017

उनवान

1 सुखदेव पिता हरिचन्द्र कीर उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 प्रभुलाल पिता हरिचन्द्र कीर उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
.... **वादीगण**

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.) ..... **प्रतिवादी**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::–

श्री सुनिल कुमार शर्मा––––वादीगण अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

दिनांक– 26.10.2021

वाद–पत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि–वाके ग्राम सांगरिया पटवार हल्का सांगरिया भु.अ.निरीक्षक धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 1 के बिलानाम दर्ज ***आराजी संख्या 3331 रकबा 0.16 हैक्टयर सम्पूर्ण में तथा आ.स. 3384 रकबा 0.36 हैक्टे. भूमि के 1/2 हक हिस्से तक*** के राजस्व अभिलेखों में वादीगण का आधिपत्य निर्धारित कर, खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए, उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कर, दुरूस्तिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। इसके साथ ही वादीगण के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नही करें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगणों को पांबद किया जाता है। तहसीलदार फुलियाकलां तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आज यह डिक्री दिनांक 26.10.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा